हुलासी का पुरा

हुलासी का पुरा

(एक गाँव की परिवर्तन यात्रा)

प्रयत्न, जयपुर

संस्करणः 2012

प्रकाशनः
प्रयत्न, 68/337, प्रताप नगर,
सांगानेर-302033, जयपुर, राजस्थान, भारत
फोनः- 0141-2792919
ई-मेलः malay@prayatn.org, prayatnraj@yahoo.com
वेब पताः http://www.prayatn.org

लेखनः
रामखिलाड़ी पोषवाल, संदीप चौधरी

सम्पादनः
योगेश जैन, पदमा भट्ट

मार्गदर्शनः
मनीष सिंह, मलय कुमार

प्रकाशकः-
श्री श्याम प्रिंटर्स, जयपुर, राजस्थान

नोटः- इस पुस्तिका में प्रस्तुत विवरण और उनमें इस्तेमाल किये नाम काल्पनिक है जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नही है। यह पुस्तिका मुद्दे पर कार्य करने हेतु लोगों को अलग-अलग तरीके बताने का एक प्रयास मात्र है।

आभार

बाल अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से प्रयत्न द्वारा वर्ष 2004 में चंबल क्षेत्र (धौलपुर) में कार्य प्रारंभ किया गया था। धौलपुर जिले में कृषि के बाद खनन व्यवसाय आजीविका का मुख्य आधार है। खनन और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में बच्चे और अवयस्क बड़ी संख्या में कार्य करते हैं। खनन कार्य की अस्वास्थकर परिस्थितियाँ इनके स्वास्थ्य व विकास को विपरीत रुप से प्रभावित करती हैं।

प्रयत्न ने इस क्षेत्र में "सेव द चिल्ड्रेन" फिनलैंड व बाल रक्षा भारत के तकनीकी व आर्थिक सहयोग से बच्चों के संरक्षण व विकास को केन्द्र में रखते हुए एक बहुवर्षीय कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से धौलपुर जिले के लगभग 90 गाँवों में बाल अधिकारों हेतु सघन रूप से कार्य हुआ।

यह पुस्तिका "हुलासी का पुरा" कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए एक गाँव की परिवर्तन यात्रा का लेखा जोखा है। इसका लेखन व सम्पादन प्रयत्न के साथी श्री संदीप चौधरी व श्री रामखिलाड़ी पोषवाल ने किया है। यह परिवर्तन यात्रा शायद दिशाहीन ही रहती यदि इसमें समय समय पर सेव द चिल्ड्रन के साथियों का साथ न मिलता।

श्री पारुल सोनी, श्री मुकेश लाठ, श्री रंजन पटनायक, सुश्री नीतू शाही, श्री राजीव नागपाल व श्री प्रभात कुमार, इन सभी का मार्गदर्शन हमारे इस काम को मिला.. हम इन सभी साथियों के तहे दिल से आभारी हैं।

प्रयत्न परिवार के सदस्यो श्री रामप्रसाद जांगिड़, श्री देवेन्द्रपाल सिंह, श्री गोपाल चौधरी व श्री योगेश जैन का भी आभार जिन्होनें समय–समय पर इस महत्वपूर्ण काम में हाथ बंटाया। हमारे साथी अशरफ ने अपनी रचनात्मक सोच से इस पुस्तिका को सजाया–संवारा व श्री महेश गौतम ने अपूर्व दक्षता के साथ टाइप किया.. आप दोनों का भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

अंत में, इस यात्रा में हमारे सहगामी रहे गाँव हुलासी का पुरा, तहसील–बाड़ी, धौलपुर के सभी बच्चों व बड़ों का आभार... आपके बिना न यह यात्रा शुरु हो सकती थी न ही समाप्त..!

धन्यवाद सहित

मलय कुमार

भूमिका

विगत दशकों में सामाजिक विकास संबंधी कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन की तकनीक में काफी बदलाव आया है। इस बीच इस बहस को भी बढावा मिला है कि विकास कार्यों के मूल्यांकन हेतु किसे आधार माना जाए? प्रक्रियाओं को, परिणामों को, अथवा दोनों को। विकास कार्यक्रमों के परिणामोन्मुखी प्रबंधन को सुनिश्चित करना एक आवश्यकता भी है और एक चुनौती भी। मूल्यांकन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ परिणामों का बेहतर आंकलन हमारे सामने रखती है। इनके माध्यम से परिवर्तन की वृहद् तस्वीर जनसामान्य के सामने तार्किक रूप से रखी जा सकती है। परन्तु इन पद्धतियों की अपनी सीमाएँ भी हैं। विशेषतः प्रक्रियाओं के संदर्भ में ये पद्धतियां प्रायः न्याय नहीं कर पाती। सामाजिक बदलाव का एक बड़ा हिस्सा मानवीय प्रक्रियाओं में बदलाव पर केन्द्रित रहता है। प्रयत्न का यह अनुभव रहा है कि मानवीय प्रक्रियाओं एवं सामाजिक सहसबंधों में आ रहे बदलाव का सर्वश्रेष्ठ आंकलन उन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओ द्वारा हो सकता है जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं।

“प्रक्रिया दस्तावेजीकरण” बदलाव की क्रांतिक घटनाओं को लिपिबद्ध करने का एक स्थापित तरीका है। “प्रयत्न” के काम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता अपने कार्यक्षेत्र में आ रहे बदलाव को समझे व नियमित तौर पर लिपिबद्ध करे। कार्यकर्त्ताओं द्वारा जो दस्तावेजीकरण किया जाता है, वह प्रायः अनगढ़ और अनौपचारिक शैली का होता है, परन्तु सूचनाओं से भरपूर रहता है। इसके ध्यानपूर्वक आंकलन से हमें बदलाव के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। यह पुस्तिका इन्हीं प्रक्रिया दस्तावेजों का एक संकलन है।

समावेशी शिक्षण व बाल संरक्षण परियोजना के माध्यम से प्रयत्न ने वर्ष 2003 से राजस्थान के धौलपुर जिले में कार्य प्रारम्भ किया था। परियोजना का उद्देश्य बाल केन्द्रित प्रक्रियाओं के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के गाँवो में बाल अधिकारों के प्रोत्साहन एंव संरक्षण हेतु समुदाय आधारित व्यवस्थाओं का निर्माण करना था। परियोजना का नियोजन बाल अधिकार आधारित दृष्टिकोण से किया गया था। समुदाय, बच्चों, विद्यालय, सरकारी विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु विशिष्ट गतिविधियों का चुनाव किया गया था, जिससे कि एक समेकित परिणाम आ सके।

इस पूरी परियोजना में 10 साथियों के एक दल ने लगातार काम किया। सभी ने नियमित तौर पर अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। परिणामतः हमारे पास बदलाव को दर्शाने वाली कुछ घटनाओं का संकलन तैयार हो गया। साथियों ने अपने दस्तावेज और प्रतिवेदनों में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया, जिनकी सामान्यतः अनदेखी हो जाती है।

बाल केन्द्रित विकास की अवधारणा के साथ “प्रयत्न” द्वारा धौलपुर जिले के लगभग 100 गाँवों में विगत एक दशक से कार्य किया जा रहा है। ग्राम हुलासी का पुरा उपरोक्त परियोजना क्षेत्र का एक गाँव है। इस गाँव में हुए कार्यों के परिणाम स्वरूप आज यहाँ समुदाय आधारित कुछ व्यवस्थाएं कायम हुई हैं। समुदाय ने बच्चों को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष संस्थानों जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र की बेहतरी के प्रयास तो किए ही हैं, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष कारणों जैसे शराबखोरी, जुएबाजी आदि पर भी लगाम कसी है। आज इन गावों में बालविकास, बालश्रम, कन्या भ्रूणहत्या जैसे बुराईयों को रोकने हेतु बच्चे व बड़े समन्वित रूप से प्रयासशील है।

परन्तु इस गाँव की तस्वीर हमेशा से ऐसी नही रही है। अत्याधिक गरीबी से जूझते इस क्षेत्र में पत्थरों का खनन ही कृषि के बाद रोजगार हेतु एक विकल्प है। बच्चे धीरे–धीरे अपने माता–पिता के साथ काम पर जाना शुरू कर देते हैं और कब श्रमिक बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लंबे समय तक खनन कार्य के शारीरिक दुष्परिणाम सिलिकोसिस के रूप में सामने आते है। परिणामस्वरूप वयस्क व्यक्ति रोगी होकर खाट पकड़ लेते हैं। यह सब घटित होता है एक ऐसे राजनैतिक, सामाजिक वातावरण में जो लोगों की और विशेषकर बच्चों की जरूरतों हेतु असंवेदनशील है। अधिकारों की बात तो दूर, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

इस माहौल में बाल अधिकार की बात करना वास्तव में बडा कठिन था। बात हमेशा बाल अधिकार से शुरू होकर अन्य विषयों पर आकर अटक जाती। फिर हमारे पास लोगों के लिए दूसरा विकल्प भी तो नही था। बहरहाल, बच्चों से शुरूआत की। बाल मंच बने, समस्याएँ सामने आने लगीं और समाधान भी ! विद्यालय के शिक्षकों से बात शुरू की गई तथा शिक्षक–समुदाय संवाद को माध्यम बनाकर विद्यालय को बाल केन्द्रित बनाने की कोशिश प्रारंभ हुई। इसी काम में धीर–धीरे विद्यालय विकास

व प्रबंधन समिति को भी जोड़ा गया। दूसरी ओर वयस्कों से बातचीत के रास्ते भी खुले। लोगों ने चर्चाओं में भाग लेना शुरू किया तथा सहयोग हेतु पहल प्रारंभ हुई। बडे भी संगठित हुए। "बड़ों" ने "बच्चों" की बात सुनना प्रारंभ किया... कुछ काम हुए... कुछ व्यवस्थाएं बनी। धीरे–धीरे बालमित्र गाँव की एक धुंधली–सी तस्वीर सामने आने लगी।

इस तस्वीर के रंग बने भी और बिगडे भी। क्या "सामुदायिक संगठन" की प्रक्रिया उतनी ही आसान होती है जितनी आसानी से हम लगातार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्या यह सिर्फ एक शब्द है...? नहीं; इसके पीछे सामाजिक शक्ति–संरचना से संघर्ष की पूरी कहानी होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव उन साथियों को होता है जो सीधे तौर पर प्रक्रियाओं से जुडते हैं। परन्तु कभी "शास्त्रीयता" की दृष्टि से और कभी तथाकथित "वैज्ञानिकता" के अभाव में, कार्यकर्त्ताओं का यह अनुभव व्यापक जनसमुदाय के सामने नहीं आ पाता।

यह दस्तावेज प्रयत्न के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लेखन का एक प्रतिबिंब है। दस्तावेज में प्रयत्न के साथियों ने परियोजना क्षेत्र के एक गाँव “हुलासी का पुरा” की परिवर्तन यात्रा को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। इस दस्तावेज को हमने वैसे ही अनगढ स्वरूप में रखा है जैसा वह हमारे पास आया था। परन्तु समुदाय विकास के गूढ़ सूत्र इनकी बातों में है ऐसा हमें लगता है। हमें विश्वास है कि आपके लिए यह दस्तावेज लाभदायक होगा!...

हुलासी का पुरा : गाँव और समाज

धौलपुर जिले के बाडी कस्बे के नजदीक मुख्य सड़क से लगभग 1.5 किमी. दूर एक गाँव है – हुलासी का पुरा। यह गाँव पहली नजर में वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि इस क्षेत्र के अन्य गाँव। सम्पर्क सड़क के अभाव में कच्चे व पथरीले रास्ते से इस गाँव तक पहुंचना पड़ता है। हुलासी का पुरा 148 वर्ष पुराना गाँव है। हुलासी का पुरा गाँव को श्री हुलासीराम कुशवाहा ने पडौस के गाँव उमरेह के जागीरदार से जमीन खरीदकर बसाया। श्री हुलासी राम के नाम पर ही गाँव का नाम हुलासी का पुरा पडा। शरूआत में स्वंय हुलासीराम जी एवं उनके छोटे भाई देवी राम जी दो परिवारों के साथ इस गाँव में बसे। वर्तमान में यहाँ 123 परिवार कुशवाहों के है। आगे जाकर पडौसी गाँव उमरेह से 2 मीणा परिवार तथा 1 हरिजन परिवार भी आकर बस गये। वर्तमान में हुलासी का पुरा में कुल 126 परिवार है तथा कुल आबादी 935 है।

हुलासी का पुरा (बाडी पंचायत समिति जिला धौलपुर) राजस्थान के पूर्वी भाग में बसा हुआ हैं। इस गाँव का पंचायत मुख्यालय निधारा गाँव हैं। हुलासी का पुरा जिला मुख्यालय धौलपुर से 43 किलोमीटर बाडी ब्लाक मुख्यालय से 8 किलोमीटर तथा पंचायत मुख्यालय निधारा से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हैं।

गांव हुलासी का पुरा की पूर्व दिशा में विख्यात संत नगर आश्रम है, जो अद्धैतमत के परमहंस आनन्दपुर ट्रस्ट की एक शाखा है। पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर गाँव रूंध का पुरा, उत्तर में 600 मीटर की दूरी पर मोहनपुरा एवं दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर बसई बसा हुआ हैं।

इस गाँव की अधिकांश जमीन समतल एवं उपजाऊ, है तथा मिट्टी रेतीली व बलुई है। यहाँ वर्षा में मध्यम बरसात तथा गर्मी में प्रचण्ड गर्मी पडती है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आसपास का क्षेत्र पथरीला होने के कारण यहाँ शीत ऋतु में कड़ाके की ठण्ड़ पड़ती है और तापमान 2–3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता हैं।

हुलासी का पुरा की मुख्य बसावट सघन एवं बस्ती के रूप में है। यहाँ के 10–12 परिवार अपने खेत पर मकान बनाकर ढ़ाणी के रूप में भी रहते हैं। यहाँ की जमीन में 10–15 फीट नीचे कठोर पत्थर है। यहाँ का जलस्तर 45 से 50 फीट गहरा है। गाँव में फलदार एवं छायादार वृक्षों की सघनता है।

गांव हुलासी का पुरा में 98 प्रतिशत लोग एक ही समुदाय के हैं इसलिए जातिगत विषमता या सामाजिक विषमता नहीं के बराबर है लेकिन पुरूष प्रधान समाज है। महिलाएं घर, परिवार व समाज में घूंघट में ही रहती हैं। महिलाएं घरेलू कार्य एवं कृषि कार्यो तक ही सीमित हैं। यहाँ शादी विवाह अपने समाज में गोत्र के आधार

पर तय करते हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में शिक्षा का अभाव, जातिगत भेदभाव अपेक्षाकृत कम है क्योंकि एक ही समुदाय का बाहुल्य है। लडका–लडकी में भेदभाव, अमीर–गरीब के बीच भेदभाव है।

यहाँ 123 परिवार कुशवाहा समुदाय के है। कुशवाहा अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आते है। 2 परिवार मीणा समुदाय के है जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत एवं एक परिवार हरिजन समुदाय से है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। सभी प्रकार के तीज–त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाहों में राजस्थानी लोक परम्परा तथा संस्कृति का बोलबाला है।

स्थानीय देवी–देवताओं में विशनगिरी बाबा, बाबू महाराज, कैलादेवी आदि प्रमुख है। देवी देवताओं की मान्यता के उपलक्ष्य में चैत्र के नवरात्रि में बाडी में माता के मन्दिर, भाद्रपद मास की द्वितीया को बाबू महाराज एवं वैशाख की पूर्णिमा को बाबा विशनगिरी का मेला लगता है। इन मेलों में गाँव के सभी लोग भाग लेते है तथा खुशी के लिए मन्नत मांगते है। मुख्यतः असाध्यकारी रोगों का उपचार (फोडा़, फुन्सी

तथा पशुओं की मौसमी बीमारी से बचाव,शादी–ब्याह होना, लडके की चाहत आदि) इत्यादि घर–परिवार में शुभ कार्य जैसे मकान बनाना, वाहन खरीदना, कुंआ, ट्यूबवेल लगाना, मौसम आधारित फसल के अच्छे उत्पादन एवं वर्षा होने के लिए मन्नतें मांगते है तथा इनमें लोगों का अटूट विश्वास है। शादी–विवाह के उपरान्त लोक देवताओं का पूजन किया जाता है। महिलाओं के द्वारा विभिन्न मांगलिक अवसरों पर गीत संगीत का आयोजन आम बात है।

महिलाओं में सास–ससुर एवं बडे लोगों के सामने पर्दा रखने का प्रचलन हैं। घर परिवार से जडे सभी प्रकार के निर्णय जैसे : लडका–लडकी का शादी विवाह, परिवार समाज से जुडा मुद्दा, घर के मुखिया एवं संबंधी आपस में राय करके करते है।

गांव में बच्चों की शादी बडे बुजुर्ग सदस्य के जीवित रहते करने का प्रचलन है तथा सामाजिक रूप से वह ऐसा करने में बड़प्पन समझते है। बुजुर्ग लोग बच्चों की शादी अपने सामने हो जाने पर स्वंय को भाग्यशाली समझते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी कर वे अपने दायित्वों से मुक्ति पाएं। इसके पीछे गरीबी,

दहेज प्रथा, नाते–रिश्तेदारों का दबाव, बच्चों के बडे होने पर बिगडने का भय आदि कारण हैं।

हुलासी का पुरा में परिवार में किसी बडे बुजुर्ग महिला–पुरूष की मृत्यु होने पर मृत्युभोज का प्रचलन बडे स्तर पर है। लोगों की आस्था है कि मृत्युभोज से दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं स्वर्ग मिलता है तथा पुर्नजन्म मनुष्य के रूप में ही होता हैं।

हुलासी का पुरा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। आजादी के बाद जंगल कटे, पानी कम हुआ, खेती चौपट हुई और नई अर्थव्यवस्था ने पत्थर की खानों को आबाद किया। अब इस गाँव में लगभग 150 लोग खनन कार्य अथवा गैंगसा पर पत्थर कटिंग एवं पत्थर व्यवसाय से जुडे अन्य कामों पर दैनिक मजदूरी करते हैं। मजदूरी से पैसा आया और इसी के साथ देखते-देखते शराब, धूम्रपान, दमा, श्वांस रोग, तनाव, बच्चों एवं परिवार के प्रति लापरवाही ने कब पांव पसारे पता ही नहीं चला। अधिकांश परिवार गरीब व मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत जीवन निर्वाह कर रहे है। इस गाँव का कोई भी व्यक्ति राजकीय सेवा में कार्यरत नही है, 19 परिवार बी.पी.एल. की श्रेणी में चयनित है।

गाँव की महिलायें परिवार की आजीविका के लिए खेती, थोड़ा बहुत पशुपालन के अलावा कृषि एवं खनन से जुडी मजदूरी करती है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। खेती वर्षा पर आधारित है जिससे परिवार का जीवन यापन कठिन रहता है। विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग सेठ-साहूकारों

के कर्ज में दब जाते है, तथा महाजनों को भारी-भरकम ब्याज चुकाते-चुकाते सारी कमाई भी कम पडने लगती है। यहाँ के 10-12 परिवारों को जमीन तक बेचनी पडी है।

हुलासी का पुरा में सरकारी सुविधाओं के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय सन् 1961 से संचालित है जिसमें 215 बच्चे अध्यनरत है। विद्यालय में पुरूष अध्यापकों के साथ एक महिला अध्यापक भी कार्यरत है। 2007 से आंगनबाडी केन्द्र संचालित है, जिसमें कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनी व सहायिका कार्यरत हैं। गाँव में पेयजल व्यवस्था हेतु 5 सरकारी हैण्पम्प लगे हुए है । गाँव को मुख्य सडक से जोडने के लिए नरेगा के तहत कच्ची मोरम की सडक डाली गयी है। यहाँ के आम रास्ते व गलियों में पत्थरों से खरंजा पंचायत द्वारा किया गया है। गाँव हुलासी का पुरा विद्युतीकृत गाँव हैं।

यहाँ वर्ष 2006 में 6 से 14 वर्ष के मध्य लगभग 40 प्रतिशत बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड देते थे, जिनमें अधिकांश संख्या लडकियों की रहती थी। गाँव में वर्ष

2008 तक एक भी लडकी ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नही की थी तथा यहाँ से कोई लडका भी उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं गया था।

इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध खनन या उससे जुडे अन्य कामों में अपने अभिभावक व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते थे। वर्ष 2006 में यहाँ से 6 से 18 वर्ष तक के 70 बच्चे खनन अथवा गैंगसा मशीन पर मजदूरी जैसे कार्यों में जुडे पाये गए थे। इसका बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर भी

विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। अधिकांश बच्चे छोटी उम्र में ही किसी ना किसी बीमारी या शारीरिक चोट से ग्रस्त थे।

मजदूरी से जुडे होने से सीधे सीधे पैसे उनके हाथ में रहने के कारण वे कई गलत आदतों के शिकार भी हो गये। अधिकतर कामकाजी बच्चों को बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, गांजा आदि की लत लग गई, जिसका असर दूसरे बच्चों में भी देखने को मिला। श्रम से जुड जाने के साथ-साथ अभिभावक इनकी शादी भी जल्दी ही कर देते थे ताकि वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें। बच्चों की शादी 15-16 वर्ष तक करने का प्रचलन देखा गया था।

बडी बहन या भाई के साथ छोटे भाई-बहन की शादी करने का अत्यधिक प्रचलन था। लड़का-लड़की में भेदभाव साफ देखने को मिलता था जिसमें खान-पान, शिक्षा, बाहर आने-जाने आदि विभिन्न अवसरों पर बच्चों के मध्य भेदभाव साफ साफ दिखता था। घर, परिवार, समुदाय के साथ-साथ विद्यालय में अध्यापकों द्वारा भी बच्चों के साथ भेदभाव भी होता था।

2007 से आंगनबाडी केन्द्र होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे टीकाकरण से वंचित थे। बच्चों के जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं था। बच्चो के विकास हेतु आवश्यक अन्य सुविधाओं जैसे खेल का मैदान, आदि का भी गाँव में अभाव था।

इन सब परिस्थितियों के बीच हुलासी का पुरा में बहुत कुछ सकारात्मक भी था। हुलासी का पुरा का संगठित समुदाय, घर, गाँव के फैसले आपसी सहमति से लेने की प्रक्रिया आदि। विद्यालय की अपनी समस्यांए थी पर शिक्षकों में भरपूर उत्साह था। सारे अभावों का सामना करते हुए भी बच्चें साथ खेलने और जुड़ने के रास्ते निकाल ही लेते थे। कुछ बड़े–बूढ़े भी थे जिनका हौसला पस्त नहीं पडा था जो मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को तैयार थे। कुछ युवा भी काम करने को तैयार थे।

हुलासी का पुरा के इसी ताने–बाने के बीच हमने (प्रयत्न) गाँव में अपने काम की शुरूआत की।

***

ईकाई, दहाई, सैंकड़ा...

प्रयत्न ने हुलासी का पुरा में अपने काम की शुरूआत वर्ष 2006 में की। जो लोग साथ आए हमने उनसे ही शुरूआत की। तेजसिंह, रामजीलाल, कप्तान सिह, कमला, मुन्नी देवी, लक्ष्मी बाई आदि शुरू से ही प्रयत्न के काम से जुड़े हुए हैं। ये साथी गण बताते हैं –

जब संस्था के लोग पहली बार गाँव में आये तो हम लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। जैसा अनजान व्यक्ति के साथ अमुमन व्यवहार होता है वही किया। हम लोगों का मानना था कि इनकी नौकरी है जिसके लिए आते है या इनका कोई फायदा होगा। हम लोग तत्काल लाभ की बातों में रूचि लेते थे यथा आप क्या देने वाले हैं? हमारा क्या फायदा होगा ? आपकी बैठक में क्यों आएं ?बच्चों का विकास, बच्चों के अधिकार ये सब अटपटी बातें थी। हमें यह सब बातें व्यर्थ लगती थी इनसे पिण्ड छुडाने के लिए तरह–तरह की बातें की। हमारी चिन्ता थी– सडक, अस्पताल, पीने का पानी, आय के स्त्रोत आदि। जहां तक हमें याद है सबसे पहले इन्होने दवाइयों

का एक कैम्प (स्वास्थ्य जाँच एवं चिकित्सा शिविर) लगाया। यह हमारी जरूरत थी। हमारे यहाँ बीमारियां थी। सामान्य बीमारियों के अलावा दमा, टी.बी., और महिला रोग प्रमुखता से पाए गए।

स्वास्थ्य शिविर का समय, तिथि हम से तय करके आयोजन किया गया था। इसमें संस्था कार्यकर्त्ता एवं डॉक्टर दवाइयाँ आदि लेकर पहुंचे। जांच के दौरान बीमारी तथा बीमारी के कारण समझाये गये। आवश्यक प्राथमिक उपचार जो संभव हुआ, किया तथा आगे के लिए राय भी दी गई। हमें लगा कि ये हमारी मदद करना चाहतें हैं।

हमारा विश्वास इन लोगों के प्रति बना। हम सहयोग भी करने लगे। इनके आने पर समय भी देने लगे। अक्सर हम लोगों के साथ संस्था कार्यकर्त्ताओं की बात दुकान, चौपाल, गाँव के सार्वजनिक स्थान आदि पर होती थी यह सिलसिला काफी समय चला।

सबको समय नही मिलता था। शुरू में कन्हैया लाल, राकेश, रतन लाल, गंगा सिंह, मोहन सिंह, मीनेश, प्रेमवती आदि जुड़े फिर भी हमारी संख्या अधिक नहीं थी। हम लोगों ने छोटी–छोटी जिम्मेदारियां भी ली। हम लोग इनकों घरों में मिलवाते, जान–पहचान करवातें। लोगों के तो अपने–अपने सवाल थे, बीमारी के बारे में या सरकारी योजनाओं के बारे में आदि।

कैम्प (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर) का असर यह हुआ कि जो लोग हमारे साथ जुड़ नही रहे थे वे भी बीमारी का इलाज कराने के बहाने से जुड़े। महिलायें घर से बाहर नहीं निकलती थी लेकिन डॉक्टर को दिखाना उनकी जरूरत थी। इसलिए महिलायें भी घर से बाहर निकली। अब हमारे लिए अनजाने जैसे नही थे,

धुक-धुका तो था फिर भी जब यह मिटिंग बुलाते हम आते। इन्होनें एक दो बार फिल्म भी दिखायी, छोटे-छोटे नाटक भी दिखाये। पढ़ाई-लिखाई, बेटा-बेटी में भेद-भाव, सफाई एवं स्वच्छता तथा बाल विवाह, दहेज आदि की बाते समझ में आने लगीं, साथ ही रोगों व इलाज के बारे में जानकारियां भी मिली। हम लोग जुटने लगे।

हम इन लोगों को लेकर विद्यालय भी गये। दोपहर की छुट्टी में मास्टर साहब से तथा हमारें बच्चों से भी बातें की, उनके साथ खेलकूद भी किये। गीत-कवितायें भी थी।

- कौन–कौन बालक–बालिकायें विद्यालय नहीं जाते।
- कौन–कौन बालक–बालिकाओं ने विद्यालय बीच में छोड दिया।
- कौन–कौन बच्चें खनन कार्य से जुडे हैं।
- क्या घर व विद्यालय में उनकी पिटाई होती है।

हमसे भी बच्चों के बारे में पूछा, हमने जो भी समझ आया वो बताया –

- बालक–बालिका घर के काम में मदद करतें है।
- बालिकायें पढकर क्या करेंगी।
- प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए विद्यालय दूसरे गाँव में होने के कारण आगे पढना मुश्किल है।
- घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होना।
- बडी बालिकाओं को गाँव से बाहर दूसरे गाँव में पढाई के लिए भेजने में झिझक होती है कि कहीं इनके साथ छेड़छाड़ ना हो।

बैठकें लगातार हो रही थीं। प्रयत्न के लोग रात में भी रूकते, क्योंकि मीटिंग होती ही रात को थी। ये लोग महिलाओं को मीटिंगों में आने के लिए जोर देते। हमें अटपटा लगता, औरतें क्या बात करेगीं? वे तो वही करेंगी जो हम कहेंगे! इन्होने हमें इतिहास की बातें बताई जिसमें महिला–पुरूष सब मिलकर कैसे काम करते थे। बताया आज भी पुरूष अकेला कुछ नही कर सकता। महिला–पुरूष परिवार की गाडी के दो पहियें है गाडी चलने के लिए दोनों पहियों का होना आवश्यक है एक पहियें पर गाडी नहीं चलती। बात समझ में आने वाली थी हमने माना। मीटिंगों में हम सब (महिला, पुरूष, बच्चें) आने लगे। अब तक केवल मीटिंग और बातें ही हो रही थी करीब एक वर्ष होने को आया। एक मीटिंग में हमने बात उठाई, क्या बातें ही होती रहेगी या आगे का काम भी कुछ होगा ???

एक विशेष मीटिंग तय की जिसमें पूरा गाँव इकट्ठा होना था और तय हुआ कि हम हमारे गाँव की जरूरतों पर बात करेंगे। गाँव में क्या है, क्या नहीं है, हम क्या कर सकते है , क्या हमें बाहर से या सरकार से करवाना हैं। मीटिंग हुई, हमें लगा था कि ये पूछेंगे हम बतायेंगे और ये लिख लेंगे पर ऐसा नही हुआ ! हमसे

बडे मोटे–मोटे कागजों पर मोटे–मोटे पेन से गाँव का नक्शा बनवाया, जिसमें घर, गुवाडी, मन्दिर, खेत, कुयें, हैण्पम्प, स्कूल सब बनाये। घर में कितने लोग रहतें है, क्या करते है, बच्चें–बच्चिया कितनी है, पढ़ने जाने वाले, काम पर जाने वाले, घर में बीमार आदि और भी कई बातें थी जो हम अब भूल गये है।

उस समय गाँव के बारे में जो मोटे रूप से बातें निकली वे इस प्रकार थी,

1. 85 बालक–बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड गये थे।
2. किसी भी बच्चे का पूर्ण टीकाकरण नही हुआ था।
3. घर व विद्यालय में मारपीट एव भेदभाव होता था।
4. बोलचाल में अभद्र भाषा (गाली–गलौच) का प्रयोग।
5. 70 बच्चें बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित किये गये थे।
6. 150 लोगों का जीवन यापन केवल मजदूरी से हो रहा था...

7. बच्चों की शादियां औसत 15 से 16 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी।

8. खनन व्यवसाय से जुडे मजदूरों को 40 से 45 वर्ष की उम्र में श्वास जनित बीमारियां बहुतायत में थी।

9. 40 से 45 वर्ष की 20 महिलायें विधवा थी।

10. चिकित्सा ईलाज की कुछ सुविधा नही थी।

हम गाँव में रहते थे लेकिन हमारे गाँव की ऐसी स्थिति है कभी सोचा नही था। अब तो हम इन कमियों पर बात रहे थे इनके साथ बातें करने से पता लगा ऐसा क्यों होता है ? इससे क्या नुकसान हो रहा है ? कौन जिम्मेदार है ? कमियाँ कैसे दूर होंगी ? इत्यादि। साफ था कि इन कमियों के लिए पहले जिम्मेदार हम हैं उसके बाद दूसरे लोग जिम्मेदार हैं।

कमियों को दूर कैसे करें इस पर बात हुई तो पहल हमें ही करनी है यह बात हम समझ चुके थे। सब लोग सब काम सब समय नही कर सकते, अतः जिम्मेदार लोगों का छोटा समूह गठन करें जिसमें सभी मोहल्लों से महिला–पुरूषों का चयन

करें। हमने तय किया कि समूह के सदस्य वे लोग होंगे जो गाँव के काम के लिए थोडा समय दे सकें, जरूरत पडने पर इधर–उधर आ जा सकें। मोटे रूप से समूह का एक खाका सबकी भागीदारी एवं सर्वसम्मति से तय किया गया।

समूह

उद्देश्यः– ग्राम में बच्चों के अधिकार के मुद्दों पर एवं अन्य ग्राम विकास के मुद्दों पर एक साझा पहल को बढ़ावा देना।

1. इसकी सदस्य संख्या 15 से 30 या गाँव की जनसंख्या के अनुपात में होगी।
2. महिला पुरूष सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी।
3. इस मंच के सदस्य सभी जाति समुदाय से होंगे।
4. सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से उपर होगी।

यह मंच बाल अधिकार की सुनिश्चितता के लिए काम करेगा।

1. बच्चों का जीवन भयमुक्त एवं खतरा मुक्त हो।
2. उनका सम्पूर्ण विकास हो।
3. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
4. परिवार–समुदाय–गाँव के मुद्दों में बच्वें भी सहभागी बनें।

इस मंच की बैठके महीने में दो बार होगी तथा बैठकों में चर्चा के मुद्दें सब मिलकर तय करेंगे। गाँव के बच्चों की हर स्थिति की समीक्षा यह मंच करेगा तथा बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। प्रयत्न के लोगों ने भी जिम्मेदारी ली कि समूह को मजबूत करने हेतु समय–समय पर उसका विभिन्न माध्यमों से क्षमतावर्द्धन किया जाएगा। हम सब ने यह भी तय किया कि समूह गाँव के विकास की अन्य जरूरतों के लिए भी सक्रिय रहेगा।

गांव की समस्याओं पर ध्यान न देने से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा था। अतः तय हुआ कि गाँव की इस प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल किया जाये। ऐसा तो हो नही सकता कि जिसकी खिचडी उसको ही केवल डेढ़ चम्मच। (यह ग्रामीण

कहावत है जिसका मतलब है जिसका सबसे ज्यादा हक है, उसी को कम देना)। इसलिए बच्चों का भी एक मंच (बाल मंच) अलग से बने यह तिय किया गया। इस मंच का नाम बाल मंच रखा। इसका भी एक खाका तैयार किया गया एवं उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया :-

उद्देश्यः- बच्चों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जहाँ वो उन विषयों पर खुले रूप में बात कर सके जो उनके जीवन को प्रभावित करते है।

1. बाल मंच 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मंच होगा।
2. इसके सदस्यों की संख्या गाँव में रह रहे बच्चों के अनुपात में होगी।
3. मंच में सभी वर्ग के बालक व बालिकायें शामिल होंगी।
4. मंच के सदस्य बालक व बालिकायें बराबर की संख्या में होंगे।
5. मंच की बैठक माह में दो बार होगी।
6. मंच बच्चों के मुद्दों एव समस्याओं को समझेगा।
7. अपनी समस्या इत्यादि को बाल अधिकार मंच में रखेगा।

अब गाँव की बैठकें जरूरत होने पर होती। दोनो समूहों की बैठक महीने में दो बार होती थी। धीरे–धीरे एक वर्ष बीत गया। हम लोग लगातार मिलते रहे। मंच की बैठकों में लोगो का जुडना व हटना चलता रहा। फिर भी कुछ लोगों ने डोर थामें रखी। धीरे–धीरे बैठकों का स्वरूप सुधरता गया। दूसरे वर्ष के अंत में बाल अधिकार मंच और बाल मंच की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी।

बाल अधिकार मंच

- बैठकें व्यवस्थित एवं सत्त होने लगी।
- सदस्यों एव अन्य लोगों की उपस्थिति तथा सहभागिता होने लगी।
- बैठक आयोजन का ढ़ांचा भी विकसित किया गया।
- तिथि, समय, स्थान।
- चर्चा के विषय।
- गत बैठक की कार्यवाही का पुनरावलोकन।

- बैठक का दस्तावेज रखना।
- मुद्दों की समझ भी बनने लगी।
- सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया भी शुरू हुई।

बाल मंच

1. बाल मंच की बैठके भी सुचारू होने लगी।
2. अपनी पढ़ाई की बातें भी करते।
3. विद्यालय में उपस्थिति पर चर्चा करने लगे।
4. बाल मंच के सभी सदस्य गाँव में घरों में बच्चों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी चर्चा करने लगे।

5. विद्यालय व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करते।

6. बाल अधिकार मंच में भी अपनी बातों को रखने लगे।

जब हम बड़े लोगों से बात कर रहे थें बच्चें भी हमारे आस–पास जुट गये थे। उनसे भी उनके अनुभव सुने। उन्होने बताया कि उनके साथ में घर पर, विद्यालय में कैसा व्यवहार होता है, यह अब उन्हे पता है। पढाई छूट्ती है तो बुरा लगता है। बात–बात में गाली–पिटाई बिल्कुल अच्छी नही लगती, गुस्सा आता है। एक साल पहले हम पर इन बातों का कोई फर्क नही पडता था। बच्चों में मीनेश, गीता, पिंकी, मुरलीधरन, संतोष, अशोक, रनवीर, बिहारी, ढालू तथा और भी बच्चे थे।

लोगों ने तथा बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने जिम्मेदारी (बाल अधिकार मंच व बाल मंच) ले तो ली थी लेकिन यह भी लग रहा था कि इन सब कामों को करेंगे कैसे ? हम जानतें भी नही, हमारी जानकारियां भी नही है। हमने यह बात बैठकों में रखी, संस्था साथियों ने कहा कि आपका सोचना वाजिब है। आपके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सस्था लेगी तथा आपको इसकी तैयारी रखनी हैं।

हमारे लिए प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया गया। बाल अधिकारों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का स्वरूप बड़ा रोचक था। किसी विषय पर भाषण के स्थान पर हम लोगों को प्रेरित किया गया कि हम स्वंय सोचें अपनी स्थितियों का आंकलन करें, विषय को समझें तथा स्वंय तय करें। प्रशिक्षक भी ऐसे मिले जिनका समुदाय के साथ काम करने का लम्बा अनुभव था और यह उनके व्यवहार एवं आत्मीयता से झलक रहा था। प्रशिक्षण का स्थान बाड़ी रखा गया तथा समय व तिथि हम ही से चर्चा कर सुविधानुसार तय किये गये। बाल अधिकार मंच संगठन के चयनित सदस्यों को बाल अधिकारों पर जानकारी व क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण दिये गये। प्रशिक्षण में जाने हेतु सदस्यों का चयन बाल अधिकार मंच के द्वारा ही किया गया। बाल अधिकारों पर हम लोगों की समझ बने, हमारी क्षमतायें बढ़े इसके लिए तीन दिन के आवासीय प्रशिक्षणों का आयोजन प्रयत्न संस्था द्वारा ब्लाक स्तर पर किया गया।

प्रशिक्षण अलग–अलग विषयों पर दिये गये। हमारी आवश्यकतानुसार बाल अधिकार, सामुदायिक संगठन क्षमतावर्द्धन, जागरूकता, नेतृत्व क्षमता, विकास आदि, विषयों को ध्यान में रखा गया। प्रशिक्षणों में आसपास के गाँवों के लोगो

व बाल अधिकार मंच के सदस्यों की साथ–साथ चर्चाएं हुई जिसमें बच्चों के हित में किए गये कार्यों की जानकारियों का आदान–प्रदान भी हुआ। हम लोग बच्चों के मुद्दों को मुद्दा नही समझते थे। हमें बाल अधिकारों की भी कोई जानकारी नहीं थी। अब हमारी समझ बच्चों की समस्याओं, उनकी जरुरतों और उनके अधिकारों के प्रति बनी। प्रशिक्षण में हमने बच्चों के मुद्दों पर कार्य हेतु सामुहिक योजना का भी निर्माण किया। हमने आकर गाँव में और अपने संगठन के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में बताया जिससे गाँव में बच्चों के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता बढ़ी। गाँव में समुदाय के लोगों पर प्रभाव पडने लगा एवं लोग जागरूक होने लगे।

बैठकों के दौरान भी बच्चों के अधिकारों पर चर्चाएं होती। गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण ना कराना, जन्म के समय पंजीकरण कराना, टीका लगवाना, बच्चों का वजन करने आंगनबाड़ी पर ले जाना, कुपोषण से बचाव, विद्यालय पूर्व शिक्षा, विद्यालय में प्रवेश, मारपीट ना करना, खेल व मनोरंजन के लिए समय देना, बाल श्रम व बाल विवाह के दुष्प्रभाव, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भेदभाव व दुर्व्यव्यवहार से बचाव जैसे

बच्चों के मुद्दे बैठकों में रहते। धीरे–धीरे इन मुद्दों का गाँव के लोगों की बाचतीच में फैलाव होने लगा, जिससे बाल अधिकार भी लोगों का एक विषय बन गया। इसी प्रकार बाल मंच के बच्चों के लिए भी बाल अधिकारों पर, जीवन कौशल, नेत्त्व क्षमता विकास, बाल संरक्षण के मुद्दों, बाल विवाह, बाल श्रम, भेदभाव, दुर्व्यव्यवहार के विषयों पर आवासीय प्रशिक्षण ब्लाक व जिला स्तर पर आयोजित हुये इससे बच्चों की झिझक दूर हुई। बच्चें आपस में एक गाँव से दूसरे गाँव के बच्चों के सम्पर्क में आए उन्हे अपनी बातें कहने का और भावनाएं प्रकट करने का मौका मिलने लगा।

प्रशिक्षणों का दौर लम्बा चला, लगभग पुरे कार्यकाल और अलग अलग विषयों पर। हम प्रशिक्षणों से लौट्ते, काम करते फिर हमारी जरूरत के अनुसार

दूसरे प्रशिक्षण में जाते। बाल अधिकार हमारी जुबान पर रट गये और व्यवहार में शामिल होने लगें। अब तो सपने में भी बाल अधिकार दिखते हैं, तेज सिंह ने हंस कर कहा। सबके चेहरे पर मुकुराहट एवं हंसी थी। अब हमारे सामने दूसरी समस्या आ रही थी। गाँव में बाल अधिकारों की बात तो हो रही थी लेकिन इससे जुडें दूसरे हितधारकों जैसे– शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि का सहयोग नहीं मिल रहा था। इसका भी एक हल निकाला और हमने तय किया कि समुदाय एवं संगठन के लोगों को इनके साथ बात करनी चाहिए।

संस्था के लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार बातचीत के सत्र आयोजित हुये। अध्यापक समुदाय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया जहां हमने अध्यापक वर्ग के साथ बैठकर आपसी सामंजस्य, विद्यालय संचालन एवं बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता में बढोतरी में आने वाली समस्याओं को पहचान कर कारण और प्रभावों का विश्लेषण किया। साझा कार्य योजना तैयार कर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। सभी ने अपनी–अपनी जिम्मेदारी निभाई।

इस प्रक्रिया से विद्यालय की स्थिति, व्यवस्था, संचालन, अनुशासन, शिक्षा स्तर आदि में सकारात्मक बदलाव आया। विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट, भेदभाव, दुर्व्यव्यवहार के मुद्दे भी निकलकर आये थे। बच्चों के अनुसार मारपीट करना आम बात थी। इसमें धीरे–धीरे कमी होकर यह समस्या लगभग समाप्त हुई। दोपहर के भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अध्यापक वर्ग ने भी सहयोग किया एवं अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव किया।

गाँव में विशेष बैठकों का आयोजन हुआ जिससे सरकारी अधिकारियों के साथ समुदाय के लोग सीधा संवाद कर सके। लोगों की झिझक दूर हुई समुदाय व सरकार ने विकास की अपनी–अपनी जिम्मेदारी सम्भाली। प्रशासन के साथ प्रयास करने की समझ बनी। विकास के विभिन्न सहभागियों के बीच समन्वय स्थापित हुआ। विभिन्न विभागों से संबधिंत समस्याओं को लेकर प्रयास प्रारम्भ हुये।

इन बैठकों का असर यह पड़ा कि :–

1. विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण की स्वीकृति हुई।

2. ए.एन.एम. नियमित आने लगी तथा आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों का टीकाकरण होने लगा।

3. विद्यालय में पढ़ाई के तौर तरीकों के स्तर में बदलाव आया।
4. किसानों को आत्मा परियोजना से बागवानी के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

विद्यालय विकास प्रबंधन समिति भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनी। इस समिति के अधिकांश सदस्य बाल अधिकार मंच के सदस्य थे। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लेकर अपनी समान समझ बनाई। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में बाल अधिकार मंच के सक्रिय सदस्य है जो मुद्दों को समिति में रखते है। बाल अधिकार मंच ने भी अपनी बैठकों में बच्चों के मुद्दों, बाल श्रम, बाल विवाह,

दुर्व्यवहार, मारपीट, छेडछाड इन सब विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये हैं। सीखने व काम करने के मौके खूब मिल रहे थे।

हुलासी का पुरा से बाल अधिकार मंच व बाल मंच के चयनित सदस्य शैक्षणिक भ्रमण के लिए अन्य गाँवों के सदस्यों के साथ बाहर गये। जिसमें उन्हें सोहार्द संस्था अलवर, दूसरा दशक – पाली, एस. डबलू. आर. सी. तिलोनियां, सिकोईडिकोन–बारां, सी.ए.सी.एल अधिवेशन भरतपुर, भुवनेश्वर (उड़िशा) सांझाा सफर कार्यक्रम नई दिल्ली, युवा उत्सव कोलकाता जाने का अवसर मिला। हम वहां लोगों के अनुभवों, प्रयासो व प्रक्रिया से रूबरू हुये। दूसरे संगठनों द्वारा किए गये प्रयासों का लाभ स्थानीय स्तर पर भी हमारे संगठन को मिला, इससे भी हमारा उत्साह बढा। हम लोग उत्साहित थे, पूरा गाँव साथ था। अभी तक यह लग रहा था कि जब कोई जरूरत होती थी तब ही काम करते थे। लेकिन चार वर्ष के अनुभव से हम यह जान गये कि गाँव की छोटी–छोटी समस्याएं व जरूरते काफी है। अब यह आवश्यक है कि इनके उपर समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाये। प्रेरणा “प्रयत्न” की थी अतः हमने संस्था में इस बारे में बात की।

***

हमारा काम-हमारी योजना

प्रयत्न की आंतरिक समीक्षा बैठकों में हम लोग इस बात पर गहन विचार करते हैं कि अपने काम को कैसे उत्तरोत्तर जन केन्द्रित बनाया जाए। विकास कार्यक्रमों के नियोजन व क्रियान्वयन के बहुत से प्रयोग हुए है और कुछ स्थापित तकनीकें भी हैं। हम लोग "सूक्ष्म–नियोजन" का तरीका अपने उपयोग में लाते रहे है। जब हुलासी का पुरा में लोगों ने मांग रखी कि वे अपने गाँव की समस्याओं हेतु नियोजनबद्ध तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हम सबने सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया।

ग्राम संगठनों के सहयोग से हुलासी का पुरा में ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। गाँव में बहुत सी अलग–अलग समस्याएं थीं। सभी की पहचान करना, उनका कारण–प्रभाव विश्लेषण करना और कार्य योजना तैयार करना था। गाँव में महिला–पुरूष, बच्चें बैठकों में भाग नियमित लेते थे इसलिए गाँव में पहले सूचना दी गई। सूक्ष्म स्तरीय कार्य योजना तीन दिवसीय प्रक्रिया थी। सूक्ष्म

स्तरीय नियोजन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संगठन व कार्यकर्त्ताओं ने जिम्मेदारी लेकर समय, स्थान, आदि तय कर लिया था।

इस प्रक्रिया के लिए तीन साथियों ने जिम्मेदारी ली। दो साथियों ने संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया व एक साथी ने दस्तावेजीकरण किया। गाँव में इस प्रक्रिया के लिए शाम को ही सुविधा थी इसलिए इसका आयोजन शाम को ही तय किया गया जिसमें गाँव के सभी लोगों की भागीदारी रही।

प्रथम दिन संस्था साथियों ने सुबह समुदाय के लोगों व बच्चों के साथ मिलकर गाँव का नजरी नक्शा तैयार किया और तथ्य एकत्रित किए। शाम की बैठक के लिए लोगों को सूचना दी तथा समय बताया। गाँव में सभी घरों से सम्पर्क किया गया। सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गयी। पहले दिन शाम को बैठक आयोजित की और समुदाय के सभी बच्चों व महिला एवं पुरूषों के साथ बैठक के उद्देश्य पर एवं महत्व पर चर्चा की गयी। गाँव की बुनियादी जानकारियों का आदान-प्रदान हुआ और आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक स्थितियों को सुनियोजित तरीके से सूचीबद्ध किया गया।

गांव की समस्यायें को चिन्हित किया गया। प्रक्रिया सहजकर्ता ने महिलाओं व बच्चों की समस्याओं को भी शामिल करवाया। इसके बाद हम सबने मिलकर समस्याओं का प्राथमिकीकरण किया। सभी समस्याओं को कारण–प्रभाव के दृष्टिकोण से समझा गया। समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय हल निकाले गये, कार्य योजना बना कर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया।

जिन समस्याओं को चिन्हित किया गया वे इस प्रकार है–

1. गाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होना।
2. जुआ सट्टा बहुतायात खेलना।
3. शराब का अत्यधिक सेवन।
4. बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद नहीं पढ़ाना।
5. विद्यालय भवन पूरा नही होना।
6. खेल मैदान का न होना।
7. अध्यापकों की कमी।
8. आंगनबाडी भवन का न होना।
9. टीकाकरण की पूरी व्यवस्था नहीं।
10. बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग व मारपीट।
11. बाल–विवाह, बाल मजदूरी।
12. पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं।
13. लड़के–लड़की में भेदभाव।

कई समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से समाधान के प्रयास की योजना बनी। (क्या ? कब ? कौन ? कहाॅ ? कैसे ?) व जिम्मेदारियों का चार्ट बना। हम सबने मिलकर जिम्मेदारियों का चार्ट बनाया। इस चार्ट में हमने प्रत्येक समस्या के निदान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति एवं तय समय सीमा का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त बैठक के ही दौरान गाँव वालों ने कुछ नियम तय किए। जैसेः

1. सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजेंगे।
2. बच्चों के साथ मारपीट नहीं करेंगे।
3. लड़कियों व लड़कों को 5वीं के बाद भी स्कूल भेजेंगे।
4. अभिभावक बच्चों से बीडी, गुटखा, तम्बाकू आदि दुकान से नही मँगवायेंगे।
5. बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे।
6. बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे।
7. बाल विवाह नहीं करना एवं दबाव समूह के द्वारा बाल विवाह रोकेंगे।
8. स्कूल व आंगनबाड़ी में नियमित सम्पर्क कर सहयोग प्रदान करेंगे।

विकास सूचकांक : बच्चों का नजरिया

सामान्यतया बच्चों के विकास को बड़े अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करते आये है। ऐसा करने में सामान्यतः विश्लेषण तो हमारे सामने आ जाता है पर बाल सुलभ चिंताऐें हमारे विश्लेषण का हिस्सा नहीं बन पाती। शिक्षण व्यवस्था सामावेशी होनीं चाहिए यह तो हम जान जाते हैं परन्तु एक बच्चा जो विद्यालय में पक्षपात पूर्ण व्यवहार का शिकार बन जाता है तो उसके मन की बात हम नहीं जान पाते। बालोन्मुखी विकास सूचकांक निर्धारण की प्रक्रिया यद्यपि पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है पर विकास के प्रति बच्चों का नजरिया हमारे सामने रख पाने में सक्षम है। बच्चों के द्व ारा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, बड़ों के व्यवहार, विद्यालय व्यवस्था, भेदभाव, पक्षपात, व्यसन, हिंसा, शराबखोरी, जुआ, बाल विवाह आदि बिन्दुओं पर गाँव में क्या स्थिति है, यह अंकों के माध्यम से बताया जाता है। बच्चे यह भी तय करते हैं कि किस समस्या के अंक कितने है और कौन सी समस्याएं गभीर है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु क्या करना है इस पर चर्चा होती है। त्रैमासिक स्तर पर बाल मंच

के सदस्य समीक्षा करते हैं तथा स्थिति के अनुसार अंकों का पुर्ननिर्धारण होता है। बहुत सी समस्याएं उपरी क्रम में आ जाती हैं और हल हो रही समस्याओं का क्रम नीचे चला जाता है। यह प्रक्रिया बाल मंच को उसकी कार्ययोजना हेतु आधार भी देती है और बच्चों को उत्साहित भी बनाए रखती है।

हमने यही प्रक्रिया बच्चों के साथ भी की। बच्चों के साथ इस प्रक्रिया हेतु चाइल्ड लेड इन्डीकेटर माध्यम अपनाया गया। यह सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया का ही एक रूप है और विशेषकर बच्चें के लिए सहज रहता है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे खेलकूद, गीत, चित्रकारी इत्यादि

का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों का मनोरंजन भी हो और उनसे (बच्चों) से जुडी समस्याये भी निकलें। बच्चों ने अपने अनुभव हमारे सामने रखे।

हमने इसमें सहज रूप से भाग लिया। हमने साथ मिलकर गाँव का सामाजिक मानचित्रण किया। बालश्रम, बालविवाह, शिक्षा से वंचित बच्चों आदि से बैठक के दौरान चर्चा कर समस्यायें जानी गई और उनके कारणों व प्रभावों को सामूहिक चर्चा द्वारा ही निकाला गया। समस्याओं का प्राथमिकीकरण किया गया। किस समस्या का हल कहां होगा इस पर सहमति व समझ बनी । बच्चों ने निम्नांकित निर्णय लिए...

1. आपस में लडाई–झगडा नहीं करेंगे।
2. बाल मंच गाँव एवं परिवार में लडका–लडकी का भेदभाव नहीं करेंगे।
3. बाल मंच से जुडे सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बच्चों से सम्पर्क व संवाद कर उन्हे मंच से जोडेंगे।
4. नियमित स्कूल जायेंगे।
5. ड्राप आउट एवं अनियमित बच्चों को चिह्नित कर विद्यालय से जोड़ेंगे।

6. परिवार/समुदाय/स्कूल से जुड़ी समस्याओं को उचित मंच पर रखेंगे।

बच्चों ने बताया कि उन्होने दूसरे गाँवों के बाल मंचों के साथ बात करने और उन पर काम करने के लिए एक साझा मंच भी बनाया हैं। इस मंच में हुलासी का पुरा बाल मंच के दो बाल सदस्य (1 लड़का, 1 लड़की) जुड़े हैं इस मंच में उनकी भूमिका पर भी प्रशिक्षण हुआ हैं। हम बच्चों की समस्याओं अनुभवों आदि को विभिन्न स्तर की बैठकों में रखते हैं तथा प्राप्त जानकारियां अपने बाल मंच के उपयोग में करते हैं। बच्चों ने बताया कि अब बाल अधिकार मंच, परिवार, समुदाय, स्कूल आदि हमारे मुद्दों को गंभीरतापूर्वक से सुनने लगे हैं।

कप्तान बताते हैं कि –

बातचीत के रास्ते खुलने पर बहुत सी सच्चाईयां हमारे सामने आयी। बाल श्रम, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषयों पर हमारी समझ साफ हो चुकी थी। हमें विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था द्वारा लगातार इन विषयों से संबंधित कानूनो के बारे में बताया जाता रहा है। पर हम सबको यह समझ आ रहा था कि कानून तो बहुत पहले

से मौजूद है फिर भी ये कुप्रथाएँ क्यों चली आ रही है? बाल मज़दूरी पर तो हम आपस में बात करते... क्या बच्चों को मजदूरी पर भेजना इतना जरूरी है कि इसके बिना हमारा घर नहीं चलेगा? हमने हिसाब लगाया... हमें पता लगा कि एक–दो मामलों को छोडकर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को घर चलाने के लिए काम करना पड़े। उल्टे बच्चों के हाथ लगने वाला पैसा उन्हें बिगाड़ रहा है। उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ रही है दूसरी ओर बच्चों ने भी समस्याएं बताई।

बच्चों ने हमें बताया अपने मंच में हुई बातों के विषय पर... हमें खुशी हुई बच्चों को बोलते देखकर, समझदारी की बातें करते देख कर। बच्चों ने अपनी पढाई, खेलकूद, घरेलू माहौल व मारपीट के बारे में बात की । हमें यह भी पता चला कि शराब व ताश खेलने की बड़ों की आदत कैसे बच्चों पर असर डालती है? बाल विवाह के बारे में बच्चों ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी।

हमारे साथ बैठकर समस्याओं का क्या हल हो सकता है इस पर विचार किया। हमने जाना कि कानून होने भर से कुछ नहीं होगा। हमको सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान गाँव की परंपरागत व्यवस्थाओं की ओर गया। सामाजिक नियमों का उल्लंघन होने पर हमारे यहाँ दंड रखने का प्रचलन है। क्या हम बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर दंड़ नहीं रख सकते ....? कुछ चर्चा के बाद हम सभी ने कुछ नियम बनाए फिर जिम्मेदारियां भी तय की।

***

विकास चक्र

आज छः साल बाद गाँव में काफी कुछ बदला है। एक बेहतर विद्यालय, समर्पित शिक्षक, तथा भयमुक्त बच्चे। गाँव में एक संगठन भी है जो न सिर्फ बच्चों की बेहतरी के लिए काम करता है अपितु विकास के दूसरे मुद्‌दों पर भी सचेत है। बच्चों का अपना एक मंच है जो उन्हें मनोरंजन व अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराता है। आज गाँव वालों के पास अपनी उपलब्धियाँ गिनाने को बहुत कुछ है... पर जैसा कि कप्तान सिंह और दूसरे लोगों ने बताया कि अभी भी काफी काम बाकी हैं। सारे बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करना है। टीकाकरण,

स्वास्थ्य जांच आदि के क्षेत्र में सुधार करना है। हमारे गाँव के विद्यालय को क्रमोन्नत कराना है और खेल मैदान की व्यवस्था को दुरूस्त कराना है। हम हमारे गाँव को बाल मित्र गाँव बनाना चाहते हैं। एक ऐसा गाँव जहाँ सभी बच्चों के सभी अधिकार सुनिश्चित हो...! पंचायत, प्रशासन, विद्यालय, गाँव आंगनबाड़ी, नर्स बहिनजी, आशा... सभी साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। मौका अच्छा था इसलिए हमने लोगों से अब तक की उपलब्धियों के बारे में पूछा।

लोगों ने अपने दो अनुभव भी बताए उन्होने बताया कि गाँव में जो बाल केन्द्रित विकास प्रक्रिया चली उसमें विद्यालय परिवार ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया तथा विद्यालय को बाल मित्र व भय मुक्त बनाने तथा पढाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किये। परिणाम भी उत्साहवर्द्धक रहे। यहाँ अलग से एक प्राईवेट विद्यालय भी चलता था जहाँ पर 116 बच्चे पढतं थे। इस विद्यालय के शिक्षक 10वीं-12वीं तक पढे लिखें थे व प्रशिक्षित भी नहीं थे। विद्यालय व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। फीस भी काफी थी जो गरीब बच्चों की क्षमता के बाहर थी।

इधर जैसे ही राजकीय विद्यालय की व्यवस्थाएँ, नियमितता, भवन एवं अन्य सुविधाएँ सुचारू चलने लगी तो समुदाय में यह चर्चा का विषय बनी एवं दोनों विद्यालयों (निजी एवं सरकारी) की तुलना होने लगी। उसका विश्लेषण भी हुआ परिणामतः नये सत्र में सभी बच्चों का नामांकरण सरकारी विद्यालय में हुआ। विद्यालय स्टाफ ने मेहनत कर विद्यालय की छवि को सुधारा एवं प्रशंसा पाई। इससे हमारा भी उत्साह वर्द्धन हुआ और हमने विद्यालय में बाल मेला एवं शिक्षक–सम्मान समारोह आयोजित किया। पूरा विद्यालय परिवार इसका हकदार था।

इस समारोह का उद्देश्य समावेशी गुणात्मक शिक्षा एवं बाल मित्र वातावरण को बढावा देने के साथ–साथ विद्यालय में शिक्षकों द्वारा की गई मेहनत, लगन व निष्ठा के प्रति समुदाय द्वारा सम्मान कर उनका मनोबल बढाना भी था। इससे बच्चों की रचनात्मक व क्रियात्मक प्रतिभाओं को निखारने हेतु एक मंच प्रदान करना तथा समुदाय व शिक्षकों में समन्वय स्थापित करना था। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक परिवार से 20 रूपये इकट्ठा कर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया गया। प्रयत्न की ओर से बच्चों के लिए ईनाम, शिक्षक सम्मान हेतु प्रतीक चिन्ह, खेलकूद, चित्रकला

आदि से जुडे संसाधनों की मदद की गई।

कार्यक्रम से पूर्व शिक्षकों व बच्चों के साथ कार्यक्रम की रूप रेखा तय कर अलग–अलग जिम्मेदारियों का बटंवारा किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बाल विवाह व बाल श्रम पर नाटक खेले। नृत्य, गीत, चुटकुले के साथ–साथ निबन्ध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद–विवाद, भाषण प्रतियोगिता तथा खेल गतिविधियों में भी बच्चों ने भाग लिया। बाल अधिकार मंच, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा अभिभावकों द्वारा विद्यालय प्रधानाध्यापक को एवं अध्यापकों को सम्मान ट्राफी प्रदान

कर मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में समुदाय के प्रतिनिधि व शिक्षकों ने विद्यालय की प्रगति बताई और समुदाय से अपेक्षा, शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा की गई। उपस्थित सभी बच्चों को ईनाम प्रदान कर उत्साहवर्द्धन किया गया।

कार्यक्रम के बाद विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा हेतु अधिकारिक प्रयास होने लगे। बच्चों एवं अभिभावकों को यह महसूस हुआ कि अब विद्यालय सुचारू रूप से चलने लगा है तथा पढाई का स्तर भी सुदृढ़ हुआ है।

गांव के साथियों ने दूसरा अनुभव सुनाया कि किस प्रकार 2010 में हुये पंचायत चुनावों के दौरान हुलासी का पुरा के लोगों विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा दिये जा रहे प्रलोभनों से बचकर एक विश्वसनीय प्रत्याशी के लिए मतदान किया।

वर्ष 2010 में जनवरी माह में ग्राम पंचायत के चुनाव हुये। निधारा ग्राम पंचायत से सरपंच पद हेतु 6 प्रत्याशी थे। सभी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक

प्रलोभनों एवं संसाधनो का उपयोग किया जिसका संगठ्न ने विरोध किया और उन्हे वापस भेज दिया। बाल अधिकार मंच के सदस्यों ने गाँव हुलासी का पुरा के साथ पडौसी गाँव मोहनपुरा एवं रूंद्धपुरा के लोगों को इकट्ठा किया जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से एक प्रत्याशी जो इमानदार था उसे वोट देने का निर्णय लिया।

मतदाताओं को प्रत्याशियों के बहकावे या प्रलोभन में न आने हेतु लगातार कार्य किया गया। यह संगठ्न के लिए बडी चुनौती थी जिसका सामना भी किया गया और गलत प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर रोक लगी।

विद्यालय भवन में प्रयास कर तीन कक्षा–कक्षों का निर्माण करवाया गया। विद्यालय के नवनिर्मित कक्षा–कक्षों को उद्घाटन हेतु समुदाय के लोगों ने शिक्षकों के साथ बैठकर चर्चा की। इसमें सभी की सहमति होने पर करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री खिलाडी लाल बैरवा व ब्लाक शिक्षा अधिकारी को आमंत्रित कर कक्षा–कक्षों का लोकार्पण कराया गया। उस अवसर पर समुदाय की मांग पर सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की साथ ही बीईईओ द्वारा एक अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के आंवटन

की स्वीकृति की भी घोषणा की।

गाँव के सभी बच्चे बाल मंच के सदस्य है। सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जा रहे है। पांचवी कक्षा के बाद लड़कियां उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन हेतु बाड़ी (गाँव से 8 कि.मी. दूर) कस्बे तक जाने लगी है।

***

बाल श्रमिक बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। बहरहाल, ऐसा नहीं है कि गाँव में सब कुछ बेहतर हो गया है। जिंदगी की जद्दोजहद ज़ारी है... खासकर आजीविका से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। यद्यपि पत्थर की खानों में काम करना कम हुआ है पर पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोग रोजगार हेतु दिल्ली, गुजरात व दक्षिणी राज्यों तक जाने लगे हैं।

हां; बच्चों का संसार अवश्य बदल गया है। लोग खुश है। गाँव का विद्यालय अब दूर से ही चमकता है। यह चमक विद्यालय के अंदर भी है और विद्यालय के बच्चों के चेहरों पर भी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकगण विद्यालय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्पित हैं। गाँव में विद्यालय पूर्व शिक्षण की सुविधा भी बेहतर हुई है।

लोगों ने बताया इस प्रक्रिया से गाँव में आपसी सौहार्द्र भी बढ़ा है। अब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। हमारे यह कहने पर कि अब तो लगता है आपकी सारी समस्या लगभग खत्म हो गई है। अब आपका संगठन क्या करेगा – जवाब आया "अभी काम कहां खत्म हुआ है। अभी तो अपने गाँव को 100 प्रतिशत बाल मित्र बनाने का काम बाकी है।"

और... हुलासी का पुरा की यह विकास यात्रा जारी है।

समुदाय आधारित व्यवस्था निर्माण

मद्यपान निषेध

उद्देश्य	सूचना प्राप्त होने पर		
गाँव में शराब पीने पर रोक लगाना	प्रथम बार समझाइश एवं चेतावनी	द्वितीय बार आर्थिक दंड 1100/-	तृतीय बार आर्थिक दंड 5000/- एवं बहिष्कार
व्यवस्था के अंतर्गत कार्य व प्रक्रियाएं : 1. गंभीर शराबी प्रवृत्ति के लोगों को समझाइश, चिकित्सा तथा पुर्नवास के माध्यम से मुख्यधारा में लाना 2. सामाजिक उत्सवों जैसे विवाह व त्यौहारों पर शराबबन्दी हेतु विशेष प्रयास करना 3. अवैध शराब के कारोबारियों को समझाइश			
सूचना के स्त्रोत : बाल मंच, बाल अधिकार मंच के सदस्य, ग्रामवासी अन्य	सूचना देने वाले को प्रोत्साहन : 101/-		
दंड़ : 1. सामाजिक बहिष्कार 2. 1100/- आर्थिक दंड़ (प्रथम बार) 3. 5000/- आर्थिक दंड़ (द्वितीय बार)	दंड़ से प्राप्त राशि ग्राम विकास निधि में जमा होती है। जहाँ इसका उपयोग ग्राम विकास की गतिविधियों हेतु एवं जरुरतमंद बच्चों की सहायता के लिये किया जाता है।		
यह नियम गांव के मेहमान, बाराती व अन्य बाहरी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।	संगठन बाल अधिकार मंच, निगरानी समूह पंचायत प्रतिनिधि		

समुदाय आधारित व्यवस्था निर्माण

बाल विवाह पर रोक

उद्देश्य	बाल विवाह से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर		
1. बाल विवाह पर रोक लगाना 2. बाल विवाह के नुकसान पर लगातार चर्चा करना 3. आखा–तीज के अवसर पर समुदायिक चर्चा व समझाइश	<u>प्रथम चरण</u> माता–पिता को समझाना, लड़का–लड़की की आयु का सत्यापन	<u>द्वितीय चरण</u> गाँव के मुखिया, बड़े, बुढ़े, जाति–पंच, आशा, आंगनबाडी, की मदद से समझाइश व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देना। लड़का–लड़की के मानसिक संबंल सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी	<u>तृतीय चरण</u> पुलिस थाने में शिकायत लड़का–लड़की को विधिक सहायता व संबल सामाजिक बहिष्कार
जानकारी के स्त्रोत बाल मंच के सदस्य संबंधित परिवार के रिश्तेदार अन्य			
प्रोत्साहन राशि सूचना देने पर 251/– रू.			

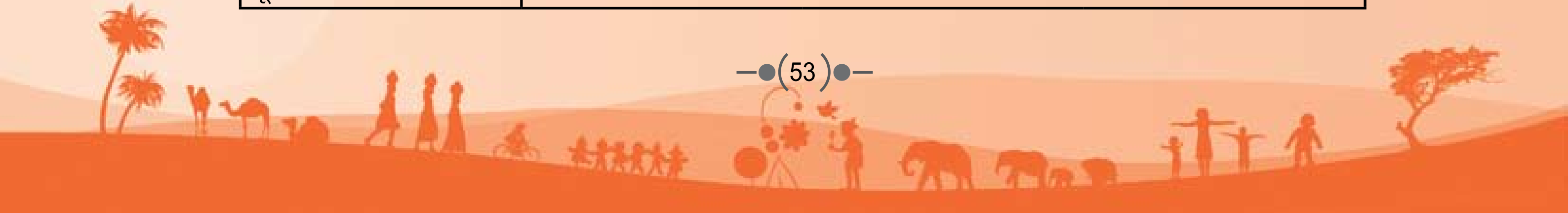

समुदाय आधारित व्यवस्था निर्माण

बाल श्रम निषेध

उद्देश्य	बालश्रम संबंधी जानकारी मिलने पर		
1. बाल श्रम पर पुर्णतः रोक लगाना 2. 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना 3. माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन 4. बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य करना नियम 1. कोई भी परिवार अपने बच्चे को काम पर नहीं भेजेगा। 2. घरेलू अथवा कृषि संबंध ी कार्यो हेतु बच्चों को विद्यालय छुड़ा घर पर नहीं रोका जाएगा।	<u>प्रथम चरण</u> माता-पिता को समझाना बच्चे से सम्पर्क विद्यालय में सम्पर्क	<u>द्वितीय चरण</u> बच्चे से संपर्क पंच, बाल अधिकार मंच सदस्य, शिक्षक, व अन्य वरिष्ठ लोगों द्वारा अभिभावकों को समझाइश, माता-पिता के अलावा यदि अन्य नियोजक है तो उसे कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना	<u>तृतीय चरण</u> माता-पिता का सामाजिक बहिष्कार श्रम निरीक्षक को सूचना बच्चें का विद्यालय में नाम. ांकन

सम्पर्क सूत्र

प्रशासनिक कार्यालय
68/337, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर - 302020, राजस्थान, भारत
फोन. नं. : 91-0141-2792919, 9414028004
Email : prayatnraj@yahoo.com
prayatn@prayatn.org
Website : www.prayatn.org